त्र के समर्थन में लिखित समर्थन पेश किया। सम्यक तामील के वावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रार्थी 3, 4, 9 ता 13, 16, 17 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई। दौरान-ए-बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को हिराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 30.06.2023 के अनुसार त्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया तथा पुष्टि में जमावंदी सम्वत् 2075 से 2078 खाता ख्या 52 स्थित ग्राम झर, तहसील बस्सी जिला जयपुर की नकल पेंश की।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दौराने बहस प्रार्थी का कथन कि अन्य आराजीयात पर कोई विवाद नहीं है, राजीनामा हो चुका है। केवल खसरा नम्बर 2511 की माओं को लेकर विवाद है। अतः खसरा नम्बर 2511 पर ही पत्थरगढी का निवेदन किया। *Sec. 111. ecision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the nd Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing rvey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual ssession.*

) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is able to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three nths previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to ssession and shall then fix the boundary accordingly-

*.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land ords Officer in the manner laid down in section 111.*इसलिये प्रार्थी को अपनी आराजी की सुरक्षा पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् पत्थरगढी खसरा संख्या 2511/0.600 हैक्टेयर स्थित झर तहसील बस्सी जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। एवं अन्य खसरा नम्बरान पर चाहा गया अनुतोष खारिज किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पुनः पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। तहसीलदार बस्सी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
ली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला-जयपुर ग्रामीण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बस्सी, जयपुर ग्रामीण